सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.:सं. NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC - RU-IV　　　　　　　　दिनांक: 01.05.2025

सेवा मे,

श्री विक्रम देव दत्त
सचिव,
कोयला मंत्रालय,
रूम नं.: 317-A, शास्त्री भवन,
डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली -110001
Email Id: secy.moc@nic.in

विषय: "वरीयता सूची में नाम नहीं जोड़ने तथा सहायक आयुक्त - क्षेत्रीय आयुक्त /11 के पद पर पदोन्नति में भेदभाव किए जाने" - श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र -IL सीकैम्पस .एल.सी., दरभंगा हाउस, रांची से प्राप्त (झारखंड) अभ्यावेदन.

संदर्भ: कोयला मंत्रालय का पत्र सं 20044/1/2025-CMPF

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। दिनांक 17.04.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी चजां/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **09.05.2025 को 04:00** P.M बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड) 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री सुमन उरांव,
लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि,
क्षेत्र -IL सीकैम्पस .एल.सी.,
दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड)
Mobile No:9430143273

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या-NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC

श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र - IL सी.सी.एल. कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड)। मोबाइल नंबर : 9430143273 के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	17.04.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	**अनुलग्नक-I** के अनुसार।

अभ्यावेदक श्री सुमन उरांव, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र - IL सी.सी.एल. कैम्पस, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड) ने आयोग को लिखित शिकायत किया है कि वे कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र ॥ रांची में वर्तमान में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 28 अप्रैल, 1989 को कनिष्ठ आशुलिपिक पद पर उनका चयन हुआ था। अभ्यावेदक ने यह उल्लेख किया है कि उनके साथ में ही इसी पद पर योगदान देने वाले कर्मचारी आज सहायक आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्त ॥ पद पर पदोन्नति हो चुके है, जिसका वेतनमान क्रमशः 15600-39100 तथा ग्रेड पे 5400 से 6600 हो गया है तथा सभी सामान्य वर्ग समुदाय से आते हैं। किन्तु अभ्यावेदक का वेतनमान अभी भी 9300-34800 के ग्रेड पे 4800 है जबकि भारतीय संविधान के अनुसार में इस वर्ग के उन्नति के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान होते हुये भी उनके विभाग द्वारा उन्हे उनके अधिकारों से भी वंचित किया गया है।

2. आयोग द्वारा मामले में 17.10.2024 को सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को नोटिस भेजा गया|

3. दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ के वे आज इस सुनवाई में किसी कारणवश उपस्थित नही हो पाएंगे अत उन्हें आगे की तिथि प्रदान की जाए ।

4. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

   1. इस मामले में अगली तिथि निर्धारित कर दोनों पक्षों को सूचित किया जाए

आ.ल. 22/04/2025

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/SER-1551/MCOL/2/2024-RO-RNC)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 17.04.2025 at 03:00 P.M. in the case of **श्री सुमन उरांव**, लेखा अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि, रांची (झारखंड)। वरीयता सूची में नाम नहीं जोड़ने तथा सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति में भेदभाव किए जाने के संबंध में।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	**कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली**		
1.			
2.			
3.			
4.			
III	**अभ्यावेदक**		
1.			
2			